

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 09/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 497(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की धारा 147 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची के शीर्षक 2710 के अंतर्गत आता है को धारा 147 के अधीन उद्घुहणीय विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट देती है।

2. इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट कोई भी बात निर्यात के लिए क्लीयर किए गए मालो पर लागू नहीं होगी।
3. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/15/2022-टीआरयू]

विक्रम विजय वानरे, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2022

No. 09/2022-Central Excise

G.S.R. 497(E).—In exercise of the powers conferred by section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with section 147 of Finance Act, 2002 (20 of 2002), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Aviation Turbine Fuel, falling under the Heading 2710 of the Fourth Schedule of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the Special Additional Excise Duty leviable thereon under section 147 of the Finance Act, 2002 (20 of 2002).

2. Nothing contained in this notification shall apply to the goods cleared for export.
3. This notification shall come into force on the 1st day of July, 2022.

[F. No. 354/15/2022-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2022

सं. 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 498(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट है और जो कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क अधिनियम की चौथी अनुसूची के अध्याय, शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद के क भीतर आने वाले उत्पाद शुल्क योग्य माल को, वित्त अधिनियम, 2018 की छठी अनुसूची के साथ पठित धारा 112 के अधीन उस पर उद्घुहणीय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करती है जितना वह उक्त सारणी के स्तम्भ (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से परिकलित रकम से अधिक है।

सारणी

क्र.सं.	अध्याय या शीर्ष या उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2710	मोटर स्पिंट, सामान्यतया जिसे पेट्रोल के नाम से जाना जाता है	1 रुपया प्रति लीटर
2.	2710	हाई स्पीड डीज़ल ऑयल	1 रुपया प्रति लीटर